

यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10-9/2018

तारीखरजु:-08.08.2018

उनवान:- धीरसिंह बनाम सुआ वगै०

नांदकला

इजराय डिक्री पालना

क्र	फर्द अहकाम	
018	डिक्रीदार की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने मु०न० 113/15 मे पारित निर्णय दिनांक 07.06.2018 मे जारी डिक्री की पालना मे इजराय पेश की। अवलोकन किया गया। दर्ज रजिस्टर होकर तहसीलदार टोडाभीम को पालना हेतु डिक्री की प्रति तहरीर के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली दिनांक 29.08.2018 को पेश हो।	2798 8-8-18
	उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)	
29.8.18	वकील डिक्रीदार उप० / तहसीलदार से पालना प्राप्त। वज्रतजार पालना रिपोर्ट दिनांक 25.9.18 को पेश हो।	
23.10.18	जनरल प्रेशिस पेश डी। वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पुनरावकार्य में उपस्थित है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 8-1-19 को पेश हो।	
8-1-19	वकील डिक्रीदार उप० / तहसीलदार से पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं। हमरा पत्र जारी कर पालना रिपोर्ट के साथ दिनांक 31-1-19 को पेश हो।	110 9-1-19
31-1-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली में उपस्थित है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 28-2-19 को पेश हो।	
28-2-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी स्थानांतरित है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 28-2-19 को पेश हो।	
28.3.19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी पुनरावकार्य से भ्रमण पर पदधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 30.5.19 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला क

दिनांक	फर्द अहकाम
30-5-19	वकील डिक्रीदार उपस्थित। बन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 28-6-19 को पेश हो।
28-6-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी अनकाश पर पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 26-7-19 को पेश हो।
26-7-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 24-8-19 को पेश हो।
23-8-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी मीरठा पधार है। अतः पत्रावली गताबुसार दिनांक 22-9-19 को पेश हो।
27-9-19	वकील डिक्रीदार उप०। बन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 18-10-19 को पेश हो।
18-10-19	वकील डिक्रीदार। बन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 24-11-19 को पेश हो।
24-11-19	वकील डिक्रीदार उप०। बन्तजार पालना रिपोर्ट दिनांक 19-12-19 को पेश हो।
19-12-19	वकील डिक्रीदार उप०। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त पालना के अनुसार नामा संख्या 589 दिनांक 6-11-19 एवं शुद्धि पत्र संख्या 2 दिनांक 2-12-19 से डिक्री की पालना हो चुकी की प्रमाण में अब अन्य कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः पत्रावली में कार्यवाही ड्राप की जाती है। पत्रावली के सन शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तार हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

